

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

Principal Bench, New Delhi

(U/s 26 of the National Green Tribunal)

I.A.No. 741/2023

M.A.No. 61/2023

In

M.A.No. 26/2023

In

E.A.No. 14/2019

In

O.A.No. 736/2018

Chandra Shekhar Gupta

applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

Respondent

Subject:-Regarding the order of 10-11-2023 by N.G.T.Principal Bench.

Hon'ble sir,

It is submitted that Map no.61, Meerut Development Authority, Meerut is already sanctioned by M.D.A. Meerut., and is sanctioned effective from 30-12-1982 to 29-12-1985. Map sealed by Secretary M.D.A.

The Colonizer Ajeef Ahmad due to dishonest act in 2001 the public park situated at Saipuram, Delhi road, Meerut was sold out. The persons embezzled the park in 2001 the entire documents along with Map was misplaced by them of the said park located at Saipuram colony, Meerut.

The Principal Bench if want the said map no.61 may be got checked through the forensic laboratory test or C.B.I.

since the map available with the applicant bearing no.61 is in dilapidated condition.

The Principal Bench after getting investigation of the said map no.61 from forensic laboratory can know as it is how much old.

In case the Principal Bench passes the order for forensic test, on next hearing date 30-1-2024 the applicant shall submit the Map no.61 to the bench.

- 1- On 25-1-2000 an application was submitted to D.M. Meerut wherein 17 persons had signed the application.
- 2- On 06-02-2001 to the D.M. Meerut regarding the illegal possession over the public park located at Saipuram, Meerut the said application contains the signatures of 32 persons.

Submitted for kind information.

Dated: 23/11/2023

Yours faithfully,

Mob. no. 8630828853
Mail Id- gupta9566@gmail.com

Chandra Shekhar Gupta
R/O 103, Gali no.3, Saipuram,
Delhi road, Meerut-250001(U.P)

साई पुरम इण्डस्ट्रीयल एसोसियेशन, दिल्ली-रोड, मेरठ

Ph. 522417, 513397, 523655

SI No.

Date : 6.2.2001

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी,
जिला मेरठ ।

विषय: साईपुरम सार्वजनिक पार्क पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में ।

महोदय,


आज दिनांक 6.2.2001 को विश्वसनीय सूत्रों द्वारा, उपरोक्त संस्था साईपुरम इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन व साईपुरम व्यापार संघ के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई है कि श्री रघुवीर सिंह उर्फ मुनीम जी, प्रोपराइटर मुनीम जी प्रमोदी द्वारा जालसाजी अपनाते हुये हमारे साईपुरम के एकमात्र पार्क का बेनामी करा लिया गया है । जबकि साईपुरम संस्था के सदस्य वहाँ पर जानकारी हेतु एकत्रित होकर गये तो पाया कि साईपुरम पार्क का बोर्ड गायब था जो कि वहाँ पर गड़ा हुआ था जब श्री रघुवीर सिंह जी उर्फ मुनीम जी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि यह जमीन मैंने खरीद ली है, व आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है ।

श्रीमान् जी हम सभी आपको अवगत कराना चाहते है कि उपरोक्त पार्क एम0डी0ए0 द्वारा पास इस कालोनी की सम्पत्ति है । इस पत्र के साथ एम0डी0ए0 से निकाला गया भवशा भी संलग्न है । कुछ माह पूर्व इसी व्यक्ति ने यह कह कर कि कुछ लोग इस पार्क पर कब्जा करना चाहते है । जिलाधिकारी कार्यालय, क्षेत्रीय थाना व एम0डी0ए0 में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जबकि वह आज इसके विपरित पार्क को बचाने के स्थान पर स्वयं ही कब्जा करने का प्रयास कर रहा है । कृपया उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए उपयुक्त कार्यवाही करने की कृपा करें, व इस पार्क को इस जालसाज से मुक्त कराकर इसकी बाउंड्री बनवाने का आदेश पारित करें, हम सभी आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं ।

धन्यवाद,

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर



अध्यक्ष

सचिव

1. संलग्न साईपुरम का नक्शा एम0डी0ए0 से एपूड ।

यास्ते

समस्त सदस्यगण व पदाधिकारी साईपुरम
इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन व व्यापार संघ
दिल्ली रोड, मेरठ ।

क्रमशः.....2.....

साईं पुरम इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन, दिल्ली-रोड, मेरठ

Ph. 522417, 513397, 523655

SI No.

Date :

उपरोक्त पत्र की कापी निम्न स्थानों पर प्रेषित की जा रही है ।

:: 2 ::

1. थानाध्यक्ष, थाना ब्रह्मपुरी, मेरठ ।
2. सभासद वार्ड 41, मेरठ ।
3. संगठित व्यापार संघ, मेरठ ।
4. इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, मेरठ ।
5. रजिस्ट्रार आफिस (कचहरी) मेरठ ।

सं०	फर्म का नाम	हस्ताक्षर	सं०	फर्म का नाम	हस्ताक्षर
2.	मै० राधे मिनरलस्		19.	मै० विनसटन आयल	
3.	मै० सिंध कोल कं०		20.	मै० हिना एन्टरप्राइजेज	
4.	मै० कालिया प्रोपर्टी डीलर्स		21.	मै० कपूर एन्टरप्राइजेज	
5.	मै० हिन्दुस्तान कैमीकल्स		22.	मै० कपूर इण्डस्ट्रीज	
6.	मै० न्यू शक्ति प्लास्टिक		23.	मै० लंदन स्पॉटर्स	
7.	मै० ईश्वर पैकर्स		24.	मै० सुमन प्रिंटर्स	
8.	मै० प्रकाश एग्री		25.	मै० रचित हैण्डलूम	
9.	मै० लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज		26.	मै० आर०आर० एन्टरप्राइजेज	
10.	मै० शिवा मेटलस		27.	मै० गोयल ब्रादर्स	
11.	मै० पिनेकिल रबड इण्डस्ट्रीज		28.	मै० क्राउन प्रोडक्ट्स	
12.	मै० आर०एम० मेटलस		29.	मै० सपना फूड	
13.	मै० भगवती दाल मिल		30.	मै० जैन आरा मशीन	
14.	मै० ईशर इंजीनियरिंग		31.	मै० न्यू मल्होत्रा कैंटिल वॉर्स	
15.	मै० अरिहन्त पोलीमर्स		32.	मै० अमर टैलर	
16.	मै० आशिष प्रिंटर्स				
17.	मै० मित्तल पोलीपैक				
18.	मै० मंगल सोप				

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
मेरठ।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि साईपुरम निकट रेलवे क्रॉसिंग दिल्ली रोड, धाना ब्रह्मपुरी, मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा स्वीकृत मानचित्र में उपरोक्त पुरम वास्तियों के लिए क्षेत्रफल 2604 वर्ग मीटर जिसका एरिया 84*279 तथा उपरोक्त भूमि का खसरा नं० एच 2085 ई० 2082 है। सम०डी०ए० मानचित्र सं० 61 में दिनांक 30-12-1982 को उपरोक्त खसरा नं० की भूमि को वहाँ पर निवास करने वाले व फैक्ट्री में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये बेल्टेड एक पार्क निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था। उपरोक्त पार्क की बुनियाद भरी हुई है तथा उसमें एक मंदिर व नल आदि आने जाने वालों के लिए लगा हुआ है। उपरोक्त पार्क की जमीन पर बद्रमाश क्रिम के 4-5 लोग नाम पता अज्ञात उपरोक्त जमीन पर गैर कानूनी तरीके से अपना स्वामित्व दर्शाकर अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में लगे हुये है उन्हें जब साईपुरम रेजिडेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उन्हें बताया कि ये जमीन जो मेरठ विकास प्राधिकरण के स्वीकृत मानचित्र में पार्क हेतु छोड़ी गई है और जिस पर आपको अपना कोई भी विधिक अधिकार नहीं बनता है उसे आपके द्वारा कब्जा कर विव्य करना गैर कानूनी है अगर आपके द्वारा पार्क की जमीन का कब्जा व विव्य किया जाता है तो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सम्झाने का कोई असर नहीं पडा और आये दिन उपरोक्त एसोसिएशन के पदाधिकारियों को व वहाँ के निवासियों को जो वहाँ निवास करते है उन्हें धमकी दी कि अगर आपको द्वारा किसी भी प्रकार की उपरोक्त जमीन की बाबत कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई तो उसके गम्भीर परिणाम भुगतने पडेगे।

अतः श्रीमान जी से न्याय के दृष्ट में प्रार्थना है कि उपरोक्त एसोसिएशन जो पार्क की जमीन को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर विव्य करने की फिराक में है जिसका उपरोक्त जमीन से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध वास्तव नहीं है। उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही कर हम सबकी जान माल की सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करे। उपरोक्त गण किसी भी समय वहाँ पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गम्भीर हादसा घटित कर सकते है।

दिनांक- 25/1/2000

प्रतिलिपि :-

१। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

२। धानाध्यक्ष, ब्रह्मपुरी, मेरठ।

प्रा धीगण
साईपुरम रेजिडेंट्स एसोसिएशन
मेरठ द्वारा

- 1- Navneet Singh (President)
- 2 - Ajay Kumar (Secretary)
- 3 - Romyal Singh
- 4 - वीर सिंह

- :: 2 :: -

§ 38 सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

§ 48 अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवीयधिकार आयोग, नई दिल्ली ।

§ 58 मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ ।

§ 68 श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट महोदय, मेरठ

नोट-उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्वीकृत
मान. के तर्ज़म है।

5 - गिरीश सिंह

6 - A.K. Goel

7 - H.K. Singh

8 - Manoj Singh

9 - Ramesh

10 - Gopal Singh

11 - मित्रचारी

12 - देवप्रकाश

13 -

14 - जतिश चौरा

15 - गिरीश सिंह

16 - शैली तारा

17 - R.B. Singh